प्रेषक,

संदीप कौर,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परती भूमि विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2026

विषयः पी0एम0के0एस0वाई0 2.0 योजना का SNA-SPARSH 2.0 के माध्यम से क्रियान्वयन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 8/2026/बी-1-1196/दस-2026 दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में SNA-SPARSH मॉडयूल को विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत विभागों के जनपदीय एडमिन कार्यालय द्वारा बिल जेनेरेट कर जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से जनपदीय कोषागार को अग्रेषित किये जाने एवं जनपदीय कोषागार द्वारा बिलों का पारण किये जाने की व्यवस्था है।

2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के पत्र दिनांक 29.05.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0एम0के0एस0वाई0 2.0 के संचालन हेतु परती भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत गठित स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी में आहरण वितरण अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त जनपद स्तर पर परती भूमि विकास विभाग में कोई भी ऐसा अधिकारी कार्यरत नही है जिन्हें जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी नामित कराया जा सके। उपरोक्त स्थिति में परती भूमि विकास विभाग के अन्तर्गत जनपद स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी की अनुपलब्धता में SNA-SPARSH 2.0 की व्यवस्था के अनुसार इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सीज का जनपदीय कोषागारों में मैपिंग कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत तथा इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि उक्त योजना हेतु जनपदों में आहरण एवं वितरण अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, अत्यन्त आपवादिक परिस्थिति में प्रकरण पर समयक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पी0एम0के0एस0वाई0 2.0 योजना के अन्तर्गत बिलों के प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी-

1) जनपद स्तरीय Implementing Agency के Admin द्वारा समेकित बिलों को मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से जनपदीय कोषागार के स्थान पर जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ को अग्रेषित किया जायेगा। मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जनपदों से प्राप्त बिल जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ को अग्रेषित किये जायेगें।

2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बिलों के प्रिंट आउट (फॉर्म 103) पर प्रतिहस्ताक्षर कर कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3) जनपद कार्यालय के Admin द्वारा अग्रेषित बिलों के साथ संलग्न भुगतान स्वीकृति आदेश के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ के लिए भुगतान स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसे मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा फॉर्म 103 के प्रतिहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

4) उपरोक्तानुसार फॉर्म 103 के प्रतिहस्ताक्षरित प्रिंट आउट तथा भुगतान स्वीकृति आदेश के प्राप्त हो जाने पर कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा बिलों का पारण किया जायेगा।

5) भुगतान स्वीकृति आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि के कारण हुये अनियमित भुगतान के प्रति कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ का कोई उत्तदायित्व नही होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

संदीप कौर
सचिव, वित्त।

पत्र सं0-14/2026/बी-1-1358 /दस-2026, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0, शासन।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।